रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 503] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार नवम्बर 4, 1982/कार्तिक 13, 1904

No. 503] NEW DELHI, THURSDAY, NOV. 4, 1982/KARTIKA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1982

का०आ० 780(अ):—केन्द्रीय सरकार की, असम राज्य के कामरूप जिले में स्थित मैसर्स बरद्वार टी एण्ड टिम्बर कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्वाधीन बरद्वार चाय सम्पदा नामक चाय एकक की बाबत, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, 19 सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कलकत्ता-23 में है, यह राय है कि:—

(i) उक्त चाय एकक की औसत उपज, 1977–1981 के पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्ष के लिए, औसत जिला उपज से 25 प्रतिशत या उससे अधिक कम रही है;

(ii) उक्त चाय एकक का स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों ने, कर्मकारों, के भविष्य निधि शोध्यों तथा अन्य शोध्यों का जिन्हें वे प्रवृत्त विधियों के अधीन संदाय करने के लिए आध्यताधीन हैं, संदाय करने में अभ्यासत: व्यतिक्रम किया है·

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त चाय एकक के कार्य कलापों का विस्तृत और पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों के एक निकाय की नियुक्ति करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(1) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड, कलकत्ता।

(2) वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड कलकत्ता।

(3) सचिव, उद्योग विभाग, असम सरकार, दिसपुर।

(4) अधीक्षक, ख्वांग, चाय बागान, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता।

(5) उपनिदेशक (लेखा), कम्पनी विधि बोर्ड, कलकत्ता।

उक्त व्यक्ति निकाय, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा।

[फा० सं० बी०-12012(3) 79-(प्लांट ए०)]
एस० गोपालन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 2nd November, 1982

S.O. 780(E).—Whereas the Central Government is of opinion in respect of the tea unit known as Barduar Tea Estate, situated in the District of Kamrup in Assam State owned by M/s. Barduar Tea and Timber Co. Ltd., having its Registered Office at 19, Circular Garden Reach Road, Calcutta-23 that :—

(i) the average yield of the said tea unit for at least three of the five years 1977—81 has been lower than the district average yield by twentyfive per cent or more ;

(ii) the persons owning the said tea unit have habitually made default in the payment of provident fund dues of workers and other dues as they are under an obligation to pay under laws in force ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of the said tea unit, a body of persons consisting of:—

(1) Director of Tea Development, Tea Board, Calcutta.

(2) Financial Adviser and Chief, Accounts Officer, Tea Board, Calcutta.

(3) Secretary, Industries Department, Government of Assam, Dispur.

(4) Superintendent, Khwang Tea Garden, 8, Clive Row, Calcutta.

(5) Deputy Director, (Accounts),
Company Law Board, Calcutta.

The said body of persons shall submit its report to the Central Government within a period of 90 days from the date of publication of this order in the Official Gazette.

[File No. B-12012(3)/79-Plant A]
S. GOPALAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982